न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15/2018
प्रविष्टि दिनांक 17.01.2018
रामकिशोर पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राहमण निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
–प्रार्थी

बनाम

1–धन्नालाल पुत्र बंशीलाल जाति बेरागी निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
2–रामनारायण पुत्र बंशीलाल जाति बेरागी निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
3–हनुमान पुत्र बंशीलाल जाति बेरागी निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
4–बाबूलाल पुत्र बंशीलाल जाति बेरागी निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
5–उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक
6–तहसीलदार पीपलू जिला टोंक राज0
–अप्रार्थीगण

पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र विरूद्व आदेश दिनांक 27.08.2013 कमांक एफ 12 ()राजस्व/विविध/आवंटन/13/6398

उपस्थिति : (1) श्री विवेक चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता. 4

निर्णय **दिनांक 13.08.2018.**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर (राजस्व)टोंक ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2013 के द्वारा अप्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 576/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा किस्म सिवायचक बारानी–3 वाके ग्राम हरिपुरा मे से 7 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के अपनी खातेदारी भूमि एंव गै0मु0 चाह पर आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता अंकन किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है। प्रार्थी ने जिला कलेक्टर(राजस्व) टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह अंकित करना कि नामान्तकरण संख्या 1272 जो कि रास्ता दर्ज किये जाने बाबत भरा गया था, पूर्णतया विधि विधान एंव प्रकिया संबंधि ऋटियो से ग्रसित होने से काबिल निरस्तनीय है,यह स्वीकार योग्य नही है। समस्त प्रशासनिक एंव राजकीय कार्यवाहियो के पश्चात स्वीकृती प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 576/1284 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा मे पहुंचने के लिए 7 बिस्वा भूमि का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 576/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा किस्म सिवायचक मे से प्रदत्त किया गया है, उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 576/6 बना है और जिसका नामान्तकरण संख्या 1272 नियमानुसार तस्दीक किया गया है। जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 27.08.2013 से अपनी खातेदारी की आराजीयात पर पहुंचने हेतु रास्ते का आदेश पारित किया गया है, को प्राप्त करने के लिए अप्रार्थीगण ने किसी भी तथ्य को नही छिपाया है और ना ही कोई गलत तथ्य जिला

लिए अप्रार्थीगण ने किसी भी तथ्य को नही छिपाया है और ना ही कोई गलत तथ्य जिला कलेक्टर के समक्ष तत्समय रखा था। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 576/1284 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा पर पहुंचने रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 576/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा मे से चाहने बाबत जिस वक्त आवेदन किया गया था,उक्त समय उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज थी।रामदास पुत्र कोरा हरिजन को राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार आवंटित भूमि का कब्जा संभला कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामदगी की गई है वह अप्रार्थीगण के रास्ते खसरा नम्बर 576/6 रकबा 7 बिस्वा को छोडकर की गई और ना ही रामदास हरिजन को रास्ते के संबंध मे आपत्ति है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 576/1285 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा मे स्थित है और उसके अडवा ही अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 576/1284 स्थित है और उसके उपर का भाग जिसे सिवायचक भूमि बताकर अप्रार्थीगण ने आवेदन पेश था वह गलत है,क्योकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 576/1285 के उपर रामदास पुत्र कोरा हरिजन का आंवटन था, किन्तु आवंटन का राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हुआ था,माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.05.2017 एंव श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अनुपालना मे रामदास पुत्र कोरा हरिजन को आवंटन दिनांक 05.01.1971 के अनुक्रम मे आवंटी को दिनांक 31.07.2017 को पूर्व मे जारी नक्शे अनुसार कब्जा सुपुर्दगी किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 576/3 मे रास्ता चाहा गया था,वह गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज था। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि व चाह पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए था,तो उन्हे विधिवत रूप से उस खातेदार को पक्षकार बनाते हुए सक्षम न्यायालय मे चारा जोही कर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थी पारित आदेश से हितबद्व एंव पीडित है क्योकि प्रार्थी ,का खेत अप्रार्थीगण के खेत के अडवा है, और पारित आदेश की आड मे अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी के खातेदारी के खेत मे से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहै। अतः पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 576/1284 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा पर जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 576/3 से होकर रास्ता चाहा गया था। जिसके संदर्भ मे जिला कलेक्टर टोंक ने दिनांक 27.08.2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट/अभिशंषा एंव प्रस्ताव अनुसार ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर 576/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक बारानी–3 मे से 7 बिस्वा भूमि प्रस्ताव मे संलग्न नक्शा ट्रेस मे चिन्हित अनुसार जो अप्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि एंव गैर मुमकिन चाह पर आने–जाने के लिए उपयोग मे आ रही है की किस्म खातेदारान के हितार्थ शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक पं.5(1) राज–6/97/19 दिनांक 30.11.2014 के अनुसरण मे राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ता अंकन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। अतः पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलाधीन आदेश की

जिला कलेक्टर
टोंक

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थीगण धन्नालाल,रामनारायण,हनुमान,बाबूलाल पि0 बंशीलाल जाति बेरागी निवासी हरिपुरा तहसील पीपलू ने अपने खातेदारी भूमि व गै0मु0 चाह पर आने–जाने के लिए रास्ते बाबत तहसीलदार पीपलू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा मय अभिशंषा के साथ जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित किया है। अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 576/1284 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हरिपुरा पर जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 576/3 से होकर रास्ता चाहा गया था,जिसके संर्दभ मे जिला कलेक्टर टोंक ने दिनांक 27.08.2013 को आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी पीपलू की रिपोर्ट/अभिशंषा एंव प्रस्ताव अनुसार ग्राम हरिपुरा के खसरा नम्बर 576/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक बारानी–3 मे से 7 बिस्वा भूमि प्रस्ताव मे संलग्न नक्शा ट्रेस मे चिन्हित अनुसार जो अप्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि एंव गैर मुमकिन चाह पर आने–जाने के लिए उपयोग मे आ रही है की किस्म खातेदारान के हितार्थ शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक पं.5(1) राज–6/97/19 दिनांक 30.11.2014 के अनुसरण मे राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ता अंकन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.05.2017 एंव श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अनुपालना मे रामदास पुत्र कोरा हरिजन को आवंटन दिनांक 05.01.1971 के अनुकम मे आवंटी को दिनांक 31.07.2017 को पूर्व मे जारी नक्शे अनुसार कब्जा सुपुर्दगी किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जा चुका है,जबकि जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम हरिपुरा मे अंकित नोट से जाहिर है कि नामान्तरण संख्या 1542 दिनांक 04.08.2017 भूमि खसरा नम्बर 576/3 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा का भरा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि रास्ते के उपयोग मे आ रही 7 बिस्वा को छोडकर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। रास्ता न तो रामदास की खातेदारी की भूमि मे से है और ना ही रामकिशोर की खातेदारी की भूमि मे से है। जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अभिभाषक प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आदेश दिनांक 27.08.2013 को निरस्त किया जा सके। फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक